

राज्य आकस्मिकता निधि से धनावंटन
संख्या २५५/1-10-2015-33(34)/2015

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ललितपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, जालौन, चित्रकूट, इटावा, आजमगढ़,
कानपुर देहात, हमीरपुर, मुरादाबाद, बदायूँ, इलाहाबाद, अमेठी, कन्नौज, कानपुर नगर,
फर्रुखाबाद, फतेहपुर, बरेली, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, झांसी, रामपुर, एटा, हापुड, हाथरस,
मैनपुरी, मऊ, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, मेरठ, संत रविदासनगर, वाराणसी, जौनपुर,
चन्दौली एवं देवरिया

लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2015

राजस्व अनुभाग-10

विषय: फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में प्रदेश में चक्रवाती तूफान के कारण फसलों को हुई क्षति/असामयिक मृत्यु के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान एवं मृतकों के आश्रितों को वितरित किये जाने के लिये राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-177/1-11-2015-1(जी)/2015, दिनांक 18.03.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में प्रदेश में चक्रवाती तूफान के कारण फसलों को हुई क्षति/असामयिक मृत्यु के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान एवं मृतकों के आश्रितों को वितरित किये जाने के लिये राज्य आकस्मिकता निधि से वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि ₹ 3,00,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	प्रस्तावित धनराशि (लाख में)
1	ललितपुर	1000.00
2	मुजफ्फरनगर	1000.00
3	सहारनपुर	500.00
4	आगरा	1000.00
5	जालौन	1000.00
6	चित्रकूट	1000.00
7	इटावा	1000.00
8	आजमगढ़	1000.00

(3) चूँकि यह राज्य सरकार की एक नयी योजना है जिसके लिये वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-5-644/दस-2015, दिनांक 27 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित की जा रही है। अतः इस धनराशि के व्यय का जिला स्तर पर अलग से समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित है। अतः इसका आनलाइन बजट आवंटन नहीं किया जायेगा। इसे जनपद स्तर पर ही सम्बन्धित कोषागार द्वारा फीड किया जायेगा।

(4) इस स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण अलग से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले ₹0 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा ₹0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

(6) इस धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

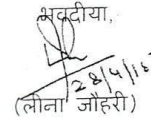
8- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय प्रथमतः 8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोग और अन्ततः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के

लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-04-दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

4- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित करारकर शासन को सूचित किया जाय।

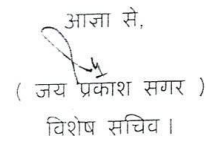
भवदीया,

(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या: 254 (1)/1-10-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

